

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-25/2018/

दिनांक:-

-आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	राधा किशन सुथार	नर्स प्रथम	बीकानेर	05.01.1959	31.01.2019
2.	प्रभुलाल मीना	नर्स प्रथम	सवाई माधोपुर	10.01.1959	31.01.2019
3.	इन्द्रा शर्मा	नर्स प्रथम	दौसा	07.01.1959	31.01.2019
4.	श्याम सुंदर शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	26.02.1959	28.02.2019
5.	लिसी अम्मा जोन	नर्सिंग ट्यूटर	कोटा	12.03.1959	31.03.2019
6.	मेरी जोसफीन	नर्सिंग ट्यूटर	भीलवाड़ा	10.04.1959	30.04.2019
7.	रूबी रोजलीन	नर्स प्रथम	अजमेर	09.04.1959	30.04.2019
8.	अनिता गुप्ता	नर्सिंग ट्यूटर	कोटा	30.07.1959	31.07.2019
9.	रामगोपाल शर्मा	नर्स प्रथम	करौली	01.08.1959	31.07.2019
10.	शिवराज शर्मा	नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	04.09.1959	30.09.2019
11.	नरेश कुमार नाथ	नर्स प्रथम	बीकानेर	20.10.1959	31.10.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

- sel -  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 29-11-2018

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-25/2018/581

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर